रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19112026-278062
CG-DL-E-19112026-278062

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 6054] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 19, 2026/कार्तिक 28, 1948
No. 6054] NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 19, 2026/KARTIKA 28, 1948

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 नवम्बर, 2026

का.आ. 6294(अ).— आयकर अधिनियम, 2025 (2025 का 30) (एतश्मिन पश्चात आयकर अधिनियम से सन्दर्भित) की धारा 11 के साथ पठित अनुसूची III [तालिका: क्रमांक 36] के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, एतद्वारा, उक्त खंड के प्रयोजनों के लिए, केरल राज्य सरकार के द्वारा केरल आबकारी श्रमिक कल्याण निधि अधिनियम, 1989 (अधिनियम 1989 का 19) के तहत गठित 'केरल आबकारी श्रमिक कल्याण निधि बोर्ड' (पैन: AABCK0389E) को निम्नलिखित निर्दिष्ट आय के संबंध में अधिसूचित करती है, यथा:-

(क) नियोक्ताओं और कर्मचारियों से अंशदान के रूप में प्राप्त राशि; और

(ख) बैंकों में जमा पर अर्जित ब्याज।

2. यह अधिसूचना इन शर्तों के अधीन प्रभावी होगी कि 'केरल आबकारी श्रमिक कल्याण निधि बोर्ड' (पैन: AABCK0389E) –

(क) किसी भी वाणिज्यिक गतिविधि में संलग्न नहीं होगा;

(ख) उक्त अधिनियम, 2025 की धारा 263(9)(ग)(xiii) के प्रावधान के अनुसार आय विवरण दाखिल करेगा; और

(ग) की गतिविधियाँ और निर्दिष्ट आय की प्रकृति कर वर्षों के दौरान अपरिवर्तित रहेंगी।

3. उपर्युक्त अनुच्छेद 2 में निर्दिष्ट शर्तों का पालन न करने पर आयकर अधिनियम की धारा 11 के साथ पठित अनुसूची III [तालिका: क्रमांक 36] के अंतर्गत दी गई छूट वापस ले ली जाएगी और उक्त अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही शुरू की जाएगी।

4. यह अधिसूचना कर वर्ष 2026-27 के लिए लागू होगी।

[अधिसूचना संख्या 147 /2026/फा. सं. 300196/41/2019-आईटीए-I)]

हरदेव सिंह, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th November, 2026

S.O. 6294(E).— In exercise of the powers conferred by Schedule III [Table: Sl. No. 36] read with Section 11 of the Income-tax Act, 2025 (30 of 2025),(hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby notifies for the purposes of the said clause, 'Kerala Abkari Workers Welfare Fund Board' (PAN: AABCK0389E), a Board constituted by the State Government of Kerala under the Kerala Abkari Workers' Welfare Fund Act, 1989 (Act 19 of 1989) in respect of the following specified income arising to that Board, namely:-

(a) Amount received as contribution from employers and employees; and

(b) Interest earned on deposits in the banks.

2. This notification shall be effective subject to the conditions that 'Kerala Abkari Workers Welfare Fund Board' (PAN: AABCK0389E) –

(a) shall not engage in any commercial activity;

(b) shall file return of income in accordance with the provision of section 263(9)(c)(xiii) of the said Act, 2025; and

(c) activities and the nature of the specified income shall remain unchanged throughout the tax years.

3. Failure to comply with the conditions specified in paragraph 2 shall result in withdrawal of exemption under Schedule III [Table: Sl. No. 36] read with section 11 and initiation of proceedings under the said Act.

4. This notification shall be applicable for tax years 2026-27.

[Notification No. 147 /2026/ F. No. 300196/41/2019-ITA-I]

HARDEV SINGH, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2026.11.19 21:40:46 +05'30'